तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
03 07/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप० प्रकरण में तनकीयात [illegible] वकील की सुनाई गई। वास्ते साक्ष्य वादी पत्रावली दिनांक 15/07/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
	15/07/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप। प्रकरण में उभयपक्ष वकील साक्ष्य नहीं कराने हेतु सहमत हुये। अतः वादी साक्ष्य एवं प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाती है। प्रकरण में उभयपक्ष वकील द्वारा बहस की गयी। हमने वकील उभयपक्ष बहस सुनी। बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। अतः वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया। प्रकरण फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। KW 15/7/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्या 92/2024

प्रकरण दायर दिनांक 01.07.2024

प्रकरण निर्णय दिनांक 15

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत–न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बॉदीकुई मुकाम–बॉदीकुई

जज इजलास–श्री रामसिंह राजावत आर.ए.एस. उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बॉदीकुई

उनवान

01. सूरज प्रसाद उपाध्याय पुत्र गंगाबक्स जाति ब्राहमण निवासी बांदीकुई तहसील बांदीकुई ज़िला दौसा

:– वादी

बनाम

01. रामजीलाल पुत्र नामालूम
02. रामकिशन
03. बाबूलाल — पिसरान रामजीलाल — जाति समस्त माली निवासी भाण्डेडा तहसील बांदीकुई
04. रामफूल

दावा बाबत–तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं.–92/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादीगण वकील–श्री गोपाल बंधु व हाजिरी प्रतिवादीगण वकील श्री हंसराज जांगिड मिनजानिब मुद्दई रूबरू ..... मिनजानिय मुद्दायलह पेश होकर होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी द्वारा वाद/दावा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को इस आशय से पांबद किया जाता है कि वादी की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 58 पुराना 87 के खसरा नंबरान 726, 727, 744, 745, 746, 747/813, 820/747 कुल किता 7 कुल रकबा 1.3200 हैक्टेयर वाके ग्राम हरिपुरा से जबरन वादीगण को बेदखल कर स्वयं का कब्जा गासिवाना ना करे, तथा किसी भी प्रकार का कोई खाम अथवा पुख्ता निर्माण नहीं करें, तारबंदी नहीं करें तथा वादी के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा पैदा ना करें व वादी के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी पैदा ना करें।

निज.....मुबलिग.....बाबत.....

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 07 सन् 2025 को जारी की गई।

15.7.25

दस्तखत.....

ओहदा.....

मुहर

Scanned with OKEN Scanner

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कगिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल

४५६
15.7.25

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्या 92/2024
प्रकरण दायर दिनांक 01.07.2024
प्रकरण निर्णय दिनांक 15.07.2025

उनवान

01. सूरज प्रसाद उपाध्याय पुत्र गंगाबक्स जाति ब्राहमण निवासी बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा

:– वादी

बनाम

01. रामजीलाल पुत्र नामालूम
02. रामकिशन
03. बाबूलाल — पिसरान रामजीलाल — जाति समस्त माली निवासी भाण्डेडा तहसील बांदीकुई
04. रामफूल

:– प्रतिवादीगण

दावा स्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण निर्णय दिनांक 15.07.2025

वादी द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा स्थायी निषेधाज्ञा जर्ये वकील श्री गोपाल बंधु के इस आशय से पेश किया है कि ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का भाण्डेडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में खतौनी संख्या 58 नया, पुराना 87 के खसरा नंबर 726, 727, 744, 745, 746, 747/813, 820/747, कुल किताह खसरा नंबर 7 कुल रकबा 1.3200 हैक्टेयर स्थित है। वादी का टीन सैड कमरा व लाईट की डी पी लगी हुई है। मौके पर ज्वार व सब्जी लगी हुई है। उपरोक्त वर्णित भूमि मुतदाविया वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है जिससे प्रतिवादीगण का किसी भी प्रकार का कोई संबंध सरोकार व वास्ता नहीं है किन्तु भूमि की बढती हुयी कीमतो के कारण प्रतिवादीगण के मन में बददेहान्ती पैदा हो गयी और प्रतिवादीगण वादी को उसके कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि पर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर दखलन्दाजी करने पर आमादा हो रहे है तथा पुख्ता व खाम निर्माण करने व तारबंदी करने पर आमादा हो रहे हैं और वादी के उपयोग उपभोग में बाधा पैदा कर रहे है व जबरन वादी को बेदखल करके भूमि पर नाजायज कब्जा करने पर आमादा हो रहे है जिसका कि उनको किसी भी प्रकार का कोई हक अधिकार व वास्ता नहीं है। दिनांक 22.06.2024 को प्रतिवादीगण के मन में बदयान्ति पैदा हो जाने के कारण व भूमि मुतदाविया पर अपने साथ मजदूर व कारीगर लेकर आ गये और भूमि मुतदाविया पर निर्माण साम्रगी डलवाने पर आमादा हो गये तो वादी ने कहा कि यह तो भूमि हमारी कब्जे काश्त व खातेदारी की है तुम्हारा इससे किसी भी प्रकार का संबंध सरोकार व वास्ता नही है किन्तु तुम फिर भी तुम

Scanned with OKEN Scanner

हमारी जमीन में पुख्ता निर्माण क्यो करना चाहते हो तो प्रतिवादीगण ने वादी को एलानियां धमकी दी कि हम तो उपरोक्त भूमि मुतदाविया पर जबरन लाठी, पैसे व मनख के जोर पर नाजायज रूप से कब्जा करके रहेंगे व निर्माण करके रहेगें व वादी को जबरन बेदखल करके रहेगें व भूमि में तारबंदी करके नाजायज कब्जा करेगें व वादी को भूमि मुतदाविया का उपयोग उपभोग नहीं करने देगें व वादी को जबरन बेदखल कर स्वयं का कब्जा करके रहेगे तथा वादी प्रतिवादीगण को मौके पर कब्जा करने से रोकेगा तो मौके पर पक्षकारान के मध्य संगीन वारदात होकर झगडा फिसाद होगा तथा वादी को अपूर्तिनिय क्षति कारित हो जावेगी तथा वादी अपने कब्जे काश्त की व खातेदारी की भूमि से हमेशा हमेशा के लिये बेदखल हो जावेगा तथा वादी का दावा दायर करने का मकसद ही फौत हो जावेगा ऐसी सूरत मे प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे भूमि मुतदाविया वर्णित जिम्मन नंबर एक वाद पत्र से जबरन वादी को बेदखल कर कब्जा स्वयं का ना करें तथा भूमि मुतदाविया के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नहीं करे तथा कोई निर्माण कार्य नहीं करावे तथा उसमें तारबंदी न करे तथा वादी को उसके कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की भूमि मुतदाविया में शांति पूर्वक काबिज होकर मुस्तफीद होने देवे। इस अमर से प्रतिवादीगण स्वयं उनके नौकर, एजेन्ट, परिवारजन व अन्य मददगारान दवामी तौर पर प्रतिबंधित रहे ऐसी सूरत में वादी को अपने हक अधिकारात की सुरक्षा हेतु यह दावा स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। बिनाय यौम दावा व बिनाय मुखास्मत वादी को दिनांक 22.06.2024 को प्रतिवादीगण द्वारा भूमि मुतदाविया में निर्माण करने की धमकी देने से व वादी के उपयोग उपभोग में बाधा पैदा करने की धमकी देने से व तारबंदी करने की कहने से व वादी को जबरन बेदखल करने की धमकी देने से अंदर हदूद अदालत हाजा पैदा हुयी है अतः दावा अंदर मियाद पेश है।

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस अमर से पाबंद फरमाया जावे कि वे भूमि मुतदाविया वर्णित जिम्मन नंबर एक वाद पत्र खाता संख्या नया 58 पुराना 87 के खसरा नंबरान 726, 727, 744, 745, 746, 747/813, 820/747 वाके ग्राम हरिपुरा से जबरन वादीगण को बेदखल कर स्वयं कर स्वयं का कब्जा गासिवाना ना करे, तथा किसी भी प्रकार का कोई खाम अथवा पुख्ता निर्माण नहीं करें, तारबंदी नहीं करें तथा वादी के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा पैदा ना करें व वादी के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी पैदा ना करें इस अमर से प्रतिवादीगण स्वयं उनके नौकर, एजेन्ट, परिवारजन बाज व मुमतनाह करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये नोटिस/सम्मन से से विधिवत की गयी। प्रतिवादीगण की ओर से एड. श्री हंसराज जांगिड ने वकालतनामा पेश किया तथा जबाब दावा पेश किया कि वाद पत्र का पैरा नंबर एक स्वीकार है, वाद पत्र का पैरा नंबर 2 कतई गलत है स्वीकार नहीं है। दावा मनगढन्त व बेबुनियादी तथ्यों पर आधारित है क्योकि प्रतिवादीगण ने अपनी स्वयं की खातेदारी की भूमि मे

Scanned with OKEN Scanner

तार फैन्सिंग की व गड्डू गाड रखे है और वादी ने भी अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाया है और प्रतिवादीगण नंबर एक रामजीलाल ने अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाया है जिसमे दोनो सीमाज्ञान की रिपोर्टो में वादी द्वारा प्रतिवादीगण की भूमि से जबरन घुसकर अतिकमण वादी द्वारा किया गया। सीमाज्ञान की रिपोर्ट के उपरांत प्रतिवादीगण ने अपनी स्वयं की भूमि सीमाज्ञान की रिपोर्ट के अनुसार पटवारी द्वारा चिन्हित सीमांकन चिन्हों के आधार पर ही तारबंदी की व गडडू गाढे गये है। वाद पत्र का पैरा नंबर 3 कतई गलत है स्वीकार नहीं है। प्रतिवादीगण ने वादी की भूमि में कोई कब्जा नहीं किया है ना ही प्रतिवादीगण के मन में कब्जा करने की बदनियति है और प्रतिवादीगण ने किसी प्रकार का कोई पुख्ता निर्माण कार्य नहीं किया है बल्कि सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर अपनी स्वयं की भूमि में सीमाज्ञान हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार गडडू गाडकर आवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा हेतु तार फैन्सिंग की है। वाद पत्र का पैरा नंबर 4 अस्वीकार है कतई गलत है, प्रतिवादीगण ने अपनी स्वयं की भूमि में तारबंदी की है वादी ने प्रतिवादी नंबर एक द्वारा धारा 128 आर. एल. एक्ट से बचने के लिये स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है और प्रतिवादी नंबर एक द्वारा किये गये प्रार्थना पत्र में श्रीमान द्वारा पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमा दिये गये। वाद पत्र का पैरा नंबर 5 व 6 कानूनी है जबाब मोहताज नहीं है। वाद पत्र में चाही गयी इस्तदुआ दादरसी गलत है अस्वीकार है। वादी स्वच्छ हाथों न्यायालय के समक्ष नहीं आया है बल्कि प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से व प्रतिवादी की भूमि को हडपने की नियत से दावा पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। वादी ने दावा कतई गलत, मनगढन्त व बेबुनियाद तथ्यों पर पेश किया है प्रतिवादीगण ने अपनी स्वयं की खातेदारी की भूमि में तार फैसिंग की व गड्डू गाड रखे है वादी ने भी अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाया है तथा प्रतिवादीगण नंबर एक रामजीलाल ने अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाया जिसमे दोनो सीमाज्ञान की रिपोर्ट में वादी द्वारा प्रतिवादीगण की भूमि में जबरन घुसकर अतिक्रमण वादी द्वारा किया गया। सीमाज्ञान की रिपोर्ट के उपरांत प्रतिवादीगण ने अपनी स्वयं की भूमि का सीमाज्ञान की रिपोर्ट के अनुसार पटवारी द्वारा चिन्हित सीमाकंन चिन्हों के आधार पर ही तारबंदी की व गड्डू गाडे गये है। प्रतिवादीगण ने वादी की भूमि में कोई कब्जा नहीं किया है और कोई पुख्ता निर्माण नहीं किया है बल्कि सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार गडडे गाडकर आवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा की है। व तार फैन्सिंग करवाई है। अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

प्रकरण में दोनो पक्ष द्वारा साक्ष्य नहीं कराने हेतु सहमत हुये तथा सीधे बहस की गयी। हमने वकील उभयपक्ष बहस सुनी। वकील उभयपक्ष बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दोनो पक्षों के वकील द्वारा वादी एवं प्रतिवादी की खातेदारी भूमि में एक दूसरे के द्वारा किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करने बाबत दावा स्वीकार करने हेतु सहमति प्रदान की। इस बाबत आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अतः वादी द्वारा दावा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Scanned with OKEN Scanner

अतः उपरोक्त विवेचन से वादी द्वारा प्रस्तुत दावा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को इस आशय से पांबद किया जाता है कि वादी की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 58 पुराना 87 के खसरा नंबरान 726, 727, 744, 745, 746, 747/813, 820/747 कुल किता 7 कुल रकबा 1.3200 हैक्टेयर वाके ग्राम हरिपुरा से जबरन वादीगण को बेदखल कर स्वयं का कब्जा गासिवाना ना करे, तथा किसी भी प्रकार का कोई खाम अथवा पुख्ता निर्माण नहीं करें, तारबंदी नहीं करें तथा वादी के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा पैदा ना करें व वादी के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी पैदा ना करें। डिक्री पर्चा जारी हो। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। यह निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को मेरे द्वारा पृथक् से टंकित करवाया गया।

15.7.25

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner